

त्वरित सुधारात्मक कारबाई

क्या है त्वरित सुधारात्मक कारबाई (PCA)

- यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्युत किया गया एक गुणात्मक उपकरण है जिसके तहत बैंक के वित्तीय स्थिति को लिये कमज़ोर बैंकों पर प्रत्यक्ष कारबाई की जाती है औ इसे अल्पाधिक तुक्रमान से बचाता है।
- त्वरित सुधारात्मक कारबाई के तहत भारतीय रिजर्व बैंक कमज़ोर और संकटात्मक बैंकों पर आक्रमन, नियमों, नियन्त्रण और सुधारात्मक कारबाई के लिये कुछ सतर्कता विद्युत अपरिवर्तित करता है।

PCA के तहत लगाए जाने वाले प्रतिबंध

- PCA के तहत दो प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं— अनिवार्य और विवेकाधीन। लापाश, शाया विवरण, नियंत्रणों के मुआवजे पर प्रतिबंध अनिवार्य है, जबकि विवेकाधीन प्रतिबंधों में उमर और जमा पर प्रतिबंध शामिल हैं।
- इसके तहत किसी इकाई या बैंक के लिये बैंक की छपण सीमा को सीमित किया जा सकता है।
- अन्य सुधारात्मक कारबाईयों के तहत विशेष लेडा प्रीमिया, परिचालनों का पुनर्गठन और वसुली जोखानों को संक्रिय करना आदि शामिल हैं।
- बैंक के प्रमोटरों को भी नए प्रवधन को लाने के लिये कहा जा सकता है।
- PCA के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक के बोर्ड को भी छाड़ा सकता है।

त्वरित सुधारात्मक कारबाई

PCA के उद्देश्य

- भारतीय रिजर्व बैंक इन दिशा-निर्देशों को इसलिये लागू करता है ताकि यह सुधारात्मक किया जा सके कि बैंकों को वित्तीय स्थिति बिगड़ने न पाए तथा बैंक खुद को व्यवस्थित करने के लिये तकात लागू किये गए उपायों का पालन करें।

PCA का इतिहास

- इसे पहली बार तब प्रयुत किया गया जब 1980–90 के दशक में वित्तीय स्थिति की विफलता के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत हानि हुई।
- भारत में पहली बार 2002 में रिजर्व बैंक के गवर्नर विमल जालन के कार्यकाल में इसे प्रयुत किया गया और अप्रैल 2017 में रिजर्व बैंक के गवर्नर डिविट पंडेल ने इसके नियमों को और कड़ा कर दिया।

PCA लागू करने हेतु मापदंड

- यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान न्यूनतम निर्भरण में CRAR और CET-1 के साथ लागू कीपिल कॉर्पोरेशन बाफ (CCB) को भी जोड़ा जाता है जो कि वर्तमान में 1.875% है तथा जो 31 मार्च, 2019 को 2.5% होता।
- 2. गैर-नियावतकारी संपत्ति (NPA): यदि खराते बैंकों के कारण NPA का प्रतिशत 6% से अधिक हो जाता है तो बैंक को संकटात्मक मानकर PCA के तहत रखा जाता है और PCA को सूची किया जाता है।
- यदि किसी बैंक का CRAR + लागू CCB 10.875% से 8.375% के बीच हो तो अर्थव्यवस्था की अनुपात 1 (CET-1) + लागू CCB 7.375% से 5.750% के बीच हो तो उसे पहली जोखिम सीमा में रखा जाता है।
- यदि किसी बैंक का CRAR + लागू CCB 8.375% से 6.875% के बीच हो अर्थव्यवस्था की अनुपात 1 (CET-1) + लागू CCB 5.750% से 4.250% के बीच हो तो उसे दूसरी जोखिम सीमा में रखा जाता है।
- यदि किसी बैंक की CET-1 + लागू CCB 4.250% से नीचे हो तो उसे तीसरी जोखिम सीमा में रखा जाता है।
- परिसंपत्तियों पर लाप्त (ROA): यह कुल संपत्ति पर कर भटाने के बाद लाप्त के प्रतिशत द्वारा प्रतिशत होता है। यदि परिसंपत्तियों पर रिटन 0.25% से नीचे है तो उसे

PCA के तहत तीन जोखिम सीमाएँ और उनसे संबंधित सुधारात्मक कारबाई

- जोखिम सीमा-1: लापाश पर प्रतिबंध, नियंत्रणों के मामले में प्रवर्तक/गतिक्षम/मूल कंपनी सूची (भारत) लाई।
- जोखिम सीमा-2: जोखिम सीमा-1 की अनिवार्य कारबाई के साथ देश/विदेश में शाया वित्तान पर प्रतिबंध तथा करेंडा अवधि के द्वारा उच्चतर प्राप्त की जाता है।
- जोखिम सीमा-3: जोखिम सीमा-1 की अनिवार्य कारबाई के साथ देश/विदेश में शाया वित्तान पर प्रतिबंध तथा प्रबन्ध को सुधारा और नियंत्रणों की फैस पर प्रतिबंध।
- इसके अतिरिक्त तीन जोखिम सीमाओं के विवेकाधीन कारबाई भी विवेकाधीन द्वारा को जाता है।

PCA के अंतर्गत रखे गए बैंक

- सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों को अपील PCA के अंतर्गत रखा गया है।
- इन बैंकों में देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, युनाइटेड बैंक, ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ऑवरसीज बैंक, ऑरियटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं।